वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.299.–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उसी वित्तीय वर्ष में निष्पादित आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्ड के पश्चात्वर्ती विक्रय विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की रकम निम्नलिखित शर्तों पर 10 प्रतिशत घटायी जायेगी, अर्थात् :–

1. कि रियायत मात्र उस वित्तीय वर्ष में भूखण्ड के प्रथम विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् निष्पादित पश्चात्वर्ती विक्रय विलेखों पर अनुज्ञात की जायेगी;
2. कि रियायत मात्र आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों के विक्रय विलेखों पर अनुज्ञात की जायेगी; और
3. कि भूखण्ड प्रथम और पश्चात्वर्ती विक्रय के दौरान खाली होना चाहिए और भूखण्ड के प्रवर्ग, क्षेत्र या अन्य दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015–235]
राज्यपाल के आदेश से,
मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015

S.O.299.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the amount of stamp duty chargeable on subsequent sale deed of residential or commercial plot executed in the same Financial Year, shall be reduced by 10% on the following conditions, namely:-

1. that concession shall be allowed only on the subsequent sale deeds executed after registration of the first sale deed of the plot in that Financial Year;
2. that concession shall be allowed only on the sale deeds of residential or commercial plots; and
3. that the plot must be vacant during the first and subsequent sale and there must be no changes in category, area or other conditions of the plot.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-235]
By order of the Governor,

(Manish Mathur)
Jt. Secretary to the Government